निदेश सं 85

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वाँ तल, जवाहर व्यापार भवन,
(एस. टी. एस. बिल्डिंग),
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001

एफ. सं. ए 1100 18/01/2021-सीएक्यूएम/1141 DT दिनांकः 02.02.2024

विषय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत निदेश - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन।

जबकि, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में , वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया है | (इसके बाद आयोग के तौर पर संदर्भित)|

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग का अधिकार है कि एन सी आर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षित करने और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करें, निदेश आदि जारी करे जैसा कि वे आवश्यक या व्यावहारिक समझे |

जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (ix) आयोग को शक्ति देती है कि वे किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकरण या को लिखित में आदेश जारी करे और ऐसे व्यक्ति या अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे आदेशों को मानने के लिए बाध्य होंगे|

जबकि, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाली धूल, अन्य के अलावा, क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और निरंतर स्रोत है और इन गतिविधियों से उत्पन्न धूल की बड़ी मात्रा परिवेशी वायु में पीएम 2.5 एवं पी एम 10 के स्तर को काफी हद तक बढ़ा देती है;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संबंधित विभिन्न एजेंसियों के कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" अधिसूचित किया । इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी धूल की रोकथाम, नियंत्रण और शमन उपायों पर दिशा-निदेश जारी किए थे।

जबकि, आयोग ने अपनी स्थापना के बाद से, निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं से धूल के शमन और धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन को और मजबूत करने और प्रभावी निगरानी के लिए सलाह, आदेश और निदेश भी जारी किए हैं | पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी समय बड़ी संख्या में चल रही सी एंड डी गतिविधियों को देखते हुए, आयोग ने 11.06.2021 को जारी निदेश के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट क्षेत्र वाली सभी सी एंड डी परियोजनाओं को आगे की निगरानी के लिए राज्य सरकार / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंधित वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का आह्वान किया, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए वीडियो फेंसिंग को निगरानी उद्देश्यों के लिए वेब पोर्टल में एकीकृत और शामिल किया जाना चाहिए।
ii. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रभावी स्व-लेखा परीक्षा तंत्र के लिए, संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित/प्रकाशित/निर्देशित धूल शमन उपायों पर विभिन्न दिशा-निर्देशों के आधार पर एक विस्तृत मानकीकृत जाँच सूची भी वेब पोर्टल में अनिवार्य है।
iii. परियोजना स्थलों पर स्थापित कम लागत वाले सेंसर के माध्यम से वायु गुणवत्ता की निगरानी।
iv. वायु गुणवत्ता निगरानी वेब पोर्टल के डैश बोर्ड का लिंक सीपीसीबी, सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निर्माण गतिविधियों के लिए संबंधित एजेंसियों के प्रशासनिक विभागों को भी उपलब्ध कराया जाना है।।
v. सीपीसीबी/डीपीसीसीआई/एसपीसीबी को अनुपालन की डिग्री के सत्यापन के लिए दूरस्थ निरीक्षण करने और वेबपोर्टल के माध्यम से प्रस्तावकों द्वारा स्व-घोषणा/लेखा परीक्षा करने के अलावा, ऐसे स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन का आंकलन करने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और/या कार्य को रोकने/बंद करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए औचक निरीक्षण करने की भी आवश्यकता है।

जबकि, धूल उत्सर्जन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, आयोग ने दिनांक 02.11.2022 को जारी निदेश संख्या 69 में निर्माण के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में एंटी-स्मॉग गन (एएसजी) की तैनाती अनिवार्य की है:

- 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए कम से कम 1 एएसजी
- 10,001 से 15,000 वर्ग मीटर के बीच के क्षेत्र के लिए कम से कम 2 एएसजी गन
- 15,001 से 20,000 वर्ग मीटर के बीच के क्षेत्र के लिए कम से कम 3 एएसजी
- 20,000 वर्ग मीटर से अधिक के कुल निर्माण क्षेत्र के लिए कम से कम 4 एएसजी

जबकि, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल प्रदूषण के उन्मूलन के संदर्भ में आयोग द्वारा जारी अन्य संबंधित निदेश और नीति दिशा-निर्देशों में धूल नियंत्रण और शमन उपायों की एक श्रृंखला शामिल है:

i. परियोजना की सीमा पर वायु अवरोधक/ब्रेकर लगाना।
ii. धूल स्क्रीन का प्रावधान, विशेष रूप से परियोजना स्थलों पर निर्माणाधीन क्षेत्र को ढकना।
iii. पानी के छिड़काव, पानी की धुंध और धूल दबाने वाले पदार्थों का नियमित उपयोग।
iv. निर्माण सामग्री और मलबे को उचित रूप से ढकना।
v. निर्माण सामग्री और मलबे/सीएंडडी अपशिष्ट का परिवहन केवल ढके हुए वाहनों के माध्यम से किया जाना।

जबकि, बड़े आकार की परियोजनाओं की ऐसी दूरस्थ निगरानी की स्थिति संबंधित राज्य सरकारों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा आयोग को अपनी आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट की जा रही है और इस क्षेत्र से धूल प्रदूषण के उन्मूलन की विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षाओं में विशेष रूप से समीक्षा की जाती है, जिसमें प्रवर्तन और सुरक्षा उप-समिति, जीआरएपी उप-समिति और ईंधन आयोग ~~की बैठकों~~ की बैठकें शामिल हैं।

जबकि, उपरोक्त चिंताओं और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी भी समय 500 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड़ क्षेत्रों पर चल रही निर्माण परियोजनाओं की उल्लेखनीय रूप से बड़ी संख्या को देखते हुए, आयोग द्वारा 17. 2024 को आयोजित सुरक्षा और प्रवर्तन पर उप-समिति की बैठकों और 08.11.2024 को आयोजित जीआरएपी समीक्षा के कार्यवृत के माध्यम से निदेश दिया गया था कि डीपीसीसी / राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाली परियोजनाओं की निगरानी करेंगे और आवश्यकतानुसार ऐसे स्थलों में भौतिक निरीक्षण के साथ-साथ दूरस्थ निरीक्षण भी करेंगे;

जबकि, एसपीसीबी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र /डीपीसीसी में विशेष आयुक्तों द्वारा की गई आवधिक समीक्षा, निरीक्षण तथा आयोग के उड़न दस्तों द्वारा किए गए नमूना निरीक्षणों से परियोजना समर्थकों द्वारा अपने परियोजना स्थलों पर विभिन्न वैधानिक निर्देशों/नियमों/आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के असंतोषजनक स्तर तथा अप्रभावी कार्यान्वयन का संकेत मिलता है, जिसमें खुले/एससीएमआई-खुले ट्रकों में निर्माण सामग्री/विध्वंस मलबे के परिवहन के कारण होने वाले धूल प्रदूषण की चिंताएं शामिल हैं;

जबकि, सम्पूर्ण पीएम2.5/पीएम10 सांद्रता में धूल का उच्च योगदान तथा संबंधित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की और अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है;

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 (1) में प्रावधान है कि अधिनियम, नियमों या आयोग द्वारा जारी किसी भी आदेश या निदेश के किसी भी प्रावधान का गैर-अनुपालन या उल्लंघन अपराध माना जाएगा;

जबकि, अधिनियम की धारा 14 (2) में यह प्रावधान है कि ऐसा अपराध असंज्ञेय होगा तथा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा, जो आयोग या आयोग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा अपराध का संज्ञान नहीं लेंगे;

अब, इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों, परामर्शों, आदेशों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा अन्य संबंधित प्राधिकरणों जैसे सीपीसीबी, एसपीसीबी/डीपीसीसी तथा राज्य सरकारों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन अन्य एजेंसियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विभिन्न धूल शमन उपायों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में, आयोग धारा 14 (2) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सदस्य-सचिवों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और सदस्य सचिव, डीपीसीसी, आयोग की "सुरक्षा और प्रवर्तन" के लिए वैधानिक उप-समिति के सदस्यों के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका और क्षमता में, परियोजना प्रस्तावकों / निष्पादन एजेंसियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत करता है ऐसे स्थलों पर धूल / वायु प्रदूषण नियंत्रण और शमन उपायों के संबंध में निर्देशों / आदेशों के घोर उल्लंघन के मामले में, ऐसे स्थलों को बंद करने और घोर उल्लंघन के ऐसे मामलों में पर्यावरण मुआवजा शुल्क लगाने / वसूलने का आदेश देने के लिए आयोग अधिकार देता है। ।

आयोग के उपरोक्त निर्देशों का सही ढंग से अनुपालन किया जाए और इस संबंध में दर्ज शिकायतों की स्थिति से आयोग को मासिक आधार पर अवगत कराया जाए, साथ ही मासिक प्रगति रिपोर्ट भी आयोग को पहले से ही प्रस्तुत जा रही है।

हस्ता ०
(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव
फोन न. 011-23701197
ईमेल: arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में :

I. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश/हरियाणा/राजस्थान के सदस्य सचिव।

2. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति।

प्रतिलिपि, सूचना एवं प्रसार हेतु:

1. उत्तर प्रदेश/हरियाणा/राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. एसीएस/प्रधान सचिव/सचिव (पर्यावरण), उत्तर प्रदेश/हरियाणा/राजस्थान सरकार/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

3. अध्यक्ष, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश/हरियाणा/राजस्थान।

4. अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति।

हस्ता ०
(अरविंद. नौटियाल)
सदस्य सचिव